भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
* * *
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2395

(दिनांक 01.08.2018 को उत्तर के लिए)

कर्मचारियों के लिए एल.टी.सी.

2395. कुँवर हरिवंश सिंहः
श्री टी. राधकृष्णनः
श्री एस. राजेन्द्रनः
श्री विद्युत वरण महतोः
श्री एस. आर. विजय कुमारः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री गजानन कीर्तिकरः
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी कर्मचारी अपने एक गृह-शहर एलटीसी के एवज में जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर-पूर्व क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का भ्रमण करने के लिए एलटीसी की सुविधा ले सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधा किस अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी;

(ग) क्या उक्त राज्यों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उक्त अवध की समाप्ति के पश्चात् उक्त सुविधा को आगे भी जारी रखने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त सुविधाओं को अन्य राज्यों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): जी हां। सभी पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपने एक गृह-शहर एलटीसी के एवज में जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर-पूर्व क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किसी भी स्थान का भ्रमण करने के लिए एलटीसी की सुविधा ले सकते हैं। उक्त स्कीम की वैधता अवधि 25 सितम्बर, 2018 तक है।

(ग) से (ड.): गृह-शहर एलटीसी के एवज में जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर-पूर्व क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किसी भी स्थान का भ्रमण करने के लिए वर्तमान स्कीम के विस्तार के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

किसी अन्य राज्य में भ्रमण हेतु ऐसी सुविधाओं के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****